(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(i) में प्रकाशनार्थ)
संख्या पी-18011/3/80-स्था0(छुट्टी)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1984

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय-सिविल सेवा (छुट्टी) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में (1) नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"28. प्राक्काश विभागों में सेवा कर रहे व्यक्तियों के लिए उपार्जित छुट्टी

(1) (क) किसी शिक्षक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे वाटरमैन के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को पांच-पांच दिनों की दो किस्तों में उपार्जित छुट्टी अग्रिम रूप से जमा की जाएगी ।

(ख) यदि किसी अध्यापक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे किसी वाटरमैन ने किसी अर्ध वर्ष के दौरान असाधारण छुट्टी ली हो और/अथवा उसकी अनुपस्थिति की किसी अवधि को अकार्य दिन माना गया हो तो अगले अर्ध वर्ष की शुरुआत में, उसके छुट्टी खाते में जमा की जाने वाली छुट्टी में अधिकतम 5 दिन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस तरह की छुट्टी और/या अकार्य दिन की अवधि का 1/30वां भाग कम कर दिया जाएगा ।

(ग) जिस अर्ध वर्ष में किसी शिक्षक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में

कार्य कर रहे वाटरमैन की नियुक्ति की जाती है वह सेवा में नहीं रहता है, उस अर्ध वर्ष के लिए उस सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए मास के लिए 5/6 दिन के हिसाब से छुट्टी जमा करने की अनुमति होगी जिसे उसने उस अर्ध वर्ष में की थी/करने की संभावना है जिस अर्ध वर्ष में उसे नियुक्त किया जाता है/वह सेवा में नहीं रहता है ।

(2) उप-नियम(1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रावकाश विभाग में सेवा करने वाला सरकारी सेवक(सैनिक अधिकारी से भिन्न), उस वर्ष में, जिसमें वह पूरे प्रावकाश का उपभोग कर लेता है, किए गए कर्तव्य की बाबत किसी उपार्जित छुट्टी का हकदार नहीं होगा ।

(3)(क) जिस वर्ष सरकारी सेवक प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग करता है, उस वर्ष की बाबत वह 30 दिन, या यदि वह नियम 26 के उपनियम(1) के अपवाद से शासित है तो 45 दिन के ऐसे अनुपात के बराबर उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा, जो उपभोग में किए गए प्रावकाश के दिनों की संख्या का पूर्ण प्रावकाश से है :

परन्तु ऐसी कोई छुट्टी ऐसे सरकारी सेवक को, जो स्थायी नियोजन का स्थायीवत: नियोजन में नहीं है, उसकी सेवा के प्रथम वर्ष के बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(ख) यदि किसी वर्ष में सरकारी सेवक किसी प्रावकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे नियम 26 के अधीन उस वर्ष की बाबत उपार्जित छुट्टी अनुज्ञेय होगी ।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए "वर्ष" से वह कलैंडर वर्ष अभिप्रेत नहीं है जिसमें कर्तव्य किया जाता है बल्कि किसी प्रावकाश विभाग में वास्तविक कर्तव्य के बारह मास अभिप्रेत हैं ।

टिप्पणी-1. जब तक कि किसी उच्चतर प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्रावकाश या प्रावकाश के भाग का उपभोग न करने की अपेक्षा नहीं की जाती तब तक यह समझा जाएगा कि प्रावकाश के हकदार किसी सरकारी सेवक ने प्रावकाश या प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग कर लिया है :

परन्तु यदि ऐसे आदेश द्वारा वह पन्द्रह दिन से अधिक के प्रावकाश का उपभोग करने से निवारित कर दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग नहीं किया है ।

टिप्पणी-2. यदि किसी प्रावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक कर्तव्य का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने से पूर्व छुट्टी पर भेजा जाता है तो उसे अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी, छुट्टी पर जाने से

पूर्व की वास्तविक कर्तव्य की अवधि के दौरान पड़ने वाले प्रावकाश के प्रति निर्देश से नहीं बल्कि उस प्रावकाश के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी जो उस तारीख से, जिसको वह कर्तव्य का पूर्वतन वर्ष पूर्ण करता है, प्रारम्भ होने वाले वर्ष में पड़े ।

टिप्पणी-3· शिक्षक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे वाटरमैन के मामले में, उप नियम§3§ के अधीन अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी, यदि कोई हो, उप नियम§2§ के अधीन अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी के अतिरिक्त होगी ।

§4§ प्रावकाश, इन नियमों के अधीन किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ कर अथवा उसके क्रम में लिया जा सकेगा ।

परन्तु एक साथ लिए गए प्रावकाश और उपर्जित छुट्टी की कुल अवधि, चाहे उपार्जित छुट्टी अन्य छुट्टी के साथ या मिलाकर उसके क्रम में ली गई है या नहीं, सरकारी सेवक को शोध्य और एक बार में अनुज्ञेय मात्रा से अधिक नहीं होगी ।

§5§ पिछले अर्ध वर्ष की समाप्ति पर सरकारी सेवक के खाते में इस नियम के अधीन जमा की गई छुट्टी इस शर्त के अधीन रहते हुए अगले अर्ध वर्ष में अग्रेनीत की जाएगी कि इस तरह से अग्रेनीत की गई छुट्टी तथा अर्ध वर्ष के लिए खाते में जमा की गई छुट्टी 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती हो ।

2§1·1§ नियम 29 के उप नियम §1§ में §सैनिक अधिकारी से भिन्न§ कोष्टकों और शब्दों के स्थान पर §सैनिक अधिकारी से भिन्न§ और नियम 28§1§ द्वारा शामिल किए गए कोष्टक और शब्द ।

एस० हरिहरन

§एस0 हरिहरन§
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- मूल नियमों में पहले किए गए संशोधनों की सूची संलग्न है ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
माया पुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

कार्य कर रहे वाटरमैन की नियुक्ति की जाती है वह सेवा में नहीं रहता है, उस अर्ध वर्ष के लिए उस सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए मास के लिए 5/6 दिन के हिसाब से छुट्टी जमा करने की अनुमति होगी जिसे उसने उस अर्ध वर्ष में की थी/करने की संभावना है जिस अर्ध वर्ष में उसे नियुक्त किया जाता है/वह सेवा में नहीं रहता है ।

(2) उप-नियम(1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रावकाश विभाग में सेवा करने वाला सरकारी सेवक(सैनिक अधिकारी से भिन्न), उस वर्ष में, जिसमें वह पूरे प्रावकाश का उपभोग कर लेता है, किए गए कर्तव्य की बाबत किसी उपार्जित छुट्टी का हकदार नहीं होगा ।

(3)(क) जिस वर्ष सरकारी सेवक प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग करता है, उस वर्ष की बाबत वह 30 दिन, या यदि वह नियम 26 के उपनियम(1) के अपवाद से शासित है तो 45 दिन के ऐसे अनुपात के बराबर उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा, जो उपभोग में किए गए प्रावकाश के दिनों की संख्या का पूर्ण प्रावकाश से है :

परन्तु ऐसी कोई छुट्टी ऐसे सरकारी सेवक को, जो स्थायी नियोजन का स्थायीवत: नियोजन में नहीं है, उसकी सेवा के प्रथम वर्ष के बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(ख) यदि किसी वर्ष में सरकारी सेवक किसी प्रावकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे नियम 26 के अधीन उस वर्ष की बाबत उपार्जित छुट्टी अनुज्ञेय होगी ।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए "वर्ष" से वह कलैंडर वर्ष अभिप्रेत नहीं है जिसमें कर्तव्य किया जाता है बल्कि किसी प्रावकाश विभाग में वास्तविक कर्तव्य के बारह मास अभिप्रेत हैं ।

टिप्पणी-1. जब तक कि किसी उच्चतर प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्रावकाश या प्रावकाश के भाग का उपभोग न करने की अपेक्षा नहीं की जाती तब तक यह समझा जाएगा कि प्रावकाश के हकदार किसी सरकारी सेवक ने प्रावकाश या प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग कर लिया है :

परन्तु यदि ऐसे आदेश द्वारा वह पन्द्रह दिन से अधिक के प्रावकाश का उपभोग करने से निवारित कर दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग नहीं किया है ।

टिप्पणी-2. यदि किसी प्रावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक कर्तव्य का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने से पूर्व छुट्टी पर चला जाता है तो उसे अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी, छुट्टी पर जाने से

पूर्व की वास्तविक कर्तव्य की अवधि के दौरान पड़ने वाले प्राक्काश के प्रति निर्देश से नहीं बल्कि उस प्राक्काश के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी जो उस तारीख से, जिसको वह कर्तव्य का पूर्वतन वर्ष पूर्ण करता है, प्रारम्भ होने वाले वर्ष में पड़े ।

टिप्पणी-3· शिक्षक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे वाटरमैन के मामले में, उप नियम(3) के अधीन अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी, यदि कोई हो, उप नियम(2) के अधीन अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी के अतिरिक्त होगी ।

(4) प्राक्काश, इन नियमों के अधीन किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ कर अथवा उसके क्रम में लिया जा सकेगा ।

परन्तु एक साथ लिए गए प्राक्काश और उपर्जित छुट्टी की कुल अवधि, चाहे उपार्जित छुट्टी अन्य छुट्टी के साथ या मिलाकर उसके क्रम में ली गई है या नहीं, सरकारी सेवक को शोध्य और एक बार में अनुज्ञेय मात्रा से अधिक नहीं होगी ।

(5) पिछले अर्ध वर्ष की समाप्ति पर सरकारी सेवक के खाते में इस नियम के अधीन जमा की गई छुट्टी इस शर्त के अधीन रहते हुए अगले अर्ध वर्ष में अग्रेनीत की जाएगी कि इस तरह से अग्रेनीत की गई छुट्टी तथा अर्ध वर्ष के लिए खाते में जमा की गई छुट्टी 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती हो ।

2(1)(1) नियम 29 के उप नियम (1) में (सैनिक अधिकारी से भिन्न) कोष्टकों और शब्दों के स्थान पर (सैनिक अधिकारी से भिन्न) और नियम 28(1) द्वारा शामिल किए गए कोष्टक और शब्द ।

एस० हरिहरन

(एस0 हरिहरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- मूल नियमों में पहले किए गए संशोधनों की सूची संलग्न है ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
माया पुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

19- पी0 13024/1/78-ई-IV (ए) तारीख 29-8-79 सा0का0नि0सं0 1150 तारीख 15-9-79

20- पी0 11012/1/77-ई-IV (ए) तारीख 21-11-79 सा0का0नि0सं0 1422 तारीख 1-12-79

21- पी0 14018/1/80-एल0यू0 तारीख 21-11-80 सा0का0नि0सं0 1260 तारीख 13-12-80

22- एफ 16(9)-ई-IV(ए)/76 तारीख 31-12-80 का0आ0सं0 263 तारीख 24-1-81

23- पी0 11012/2/80-स्था0(छ) तारीख 24-8-81 सा0का0नि0सं0 811 तारीख 5-9-81

24- पी0 14028/9/80-स्था0(छ) तारीख 1-10-81 सा0का0नि0सं0 927 तारीख 17-10-81

25- पी0 14025/9/80-स्था0(छ) तारीख 16-4-82 सा0का0नि0सं0 423 तारीख 8-5-82

26- पी0 13023/1/82-स्था0(छ) तारीख 16-4-83 सा0का0नि0सं0 413 तारीख 4-6-83

27- पी0 14028/8/82-स्था0(छ) तारीख 27-7-83 सा0का0नि0सं0 589 तारीख 27-7-83

28- पी0 13023/2/81-स्था0(छ) जारी होना है । सा0का0नि0सं0 804 तारीख 15-11-83

29- पी0 14028/6/81-स्था0(छ) तारीख 17-10-83 सा0का0नि0सं0 315 तारीख 24-3-84

30- पी0 13015/11/82-स्था0(छ) तारीख 25-3-84 अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1- भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और उनके अधीन सभी अधिकारी ।
2- महानियंत्रक लेखा ।
3- लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
4- संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय स्टाफ ।
5- निर्वाचन आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, योजना आयोग, वित्त आयोग/चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ।
6- अपर सचिव, (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय ।

टिप्पणी:- मूल केन्द्रीय सिविल सेवा §छुट्टी§ नियम, 1972 को नीचे ब्यौरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है :-

अधिसूचना की संख्या और तारीख	राजपत्र अधिसूचना की सं0 तथा तारीख का विवरण
1- एफ 16§3§-ई-IV§ए§/71 तारीख 11-9-1972	का0आ0 सं0 3724 तारीख 4-11-1972
2- एफ 4§7§-ई-IV§ए§/72 तारीख 30-4-73	का0आ0 सं0 1399 तारीख 19-5-73
3- एफ 5§14§-ई-IV§ए§/73 तारीख 13-7-73	सा0का0नि0सं0 82 तारीख 4-9-73
4- एफ 14§10§-ई-IV§ए§/73 तारीख 11-6-74	उपलब्ध नहीं
5- एफ 5§8§-ई-IV§ए§/73 तारीख 19-7-74	सा0का0नि0सं0 818 तारीख 3-8-74
6- एफ 14§8§-ई-IV§ए§/73 तारीख 2-11-74	सा0का0नि0सं0 1242 तारीख 23-12-74
7- एफ 16§3§-ई-IV§ए§/74 तारीख 20-12-74	सा0का0नि0सं0 1374 तारीख 28-12-74
8- एफ 16§5§-ई-IV§ए§/74 तारीख 11-4-75	सा0का0नि0सं0 526 तारीख 26-4-75
9- एफ 16§8§-ई-IV§ए§/74 तारीख 26-5-75	सा0का0नि0सं0 686 तारीख 7-6-75
10- एफ 4§1§-ई-IV§ए§/74 तारीख 24-6-75	सा0का0नि0सं0 834 तारीख 12-7-75
11- एफ 16§5§-ई-IV§ए§/74 तारीख 20-9-75	सा0का0नि0सं0 2876 तारीख 27-12-75
12- एफ 5§7§-ई-IV§ए§/74 तारीख 2-12-75	सा0का0नि0सं0 2877 तारीख 27-12-75
13- एफ 5§16§-ई-IV§ए§/73 तारीख 15-1-76	उपलब्ध नहीं है।
14- एफ 16§5§-ई-IV§ए§/74 तारीख 31-7-76	सा0का0नि0सं0 1184 तारीख 14-8-78
15- एफ 4§3§-ई-IV§ए§/75 तारीख 7-10-76	सा0का0नि0सं0 1587 तारीख 13-11-76
16- एफ 4§9§-ई-IV§ए§/75 तारीख 14-3-77	सा0का0नि0 सं0 611 तारीख 14-5-77
17- एफ 14§11§-ई-IV§ए§/76 तारीख 12-9-78	सा0का0नि0सं0 1159 तारीख 23-9-78
18- एफ0 11025/18/78-ई-IV§ए§ तारीख 1-12-78	सा0का0नि0सं0 1355

7- अखिल भारतीय सेवा प्रभाग(अखिल भारतीय सेवा ।।।) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
8- जे0सी0ए0 अनुभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
9- श्री भगवाला, वरिष्ठ कार्मिक एवं कार्यकारी अधिकारी, लोक सभा सचिवालय ।
10- सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र ।
11- सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
12- आयुक्त दिल्ली निगर निगम ।
13- सचिव राष्ट्रीच परिषद (कर्मचारी पक्ष) 13 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
14- कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी अधिकारियों/अनुभागों ।
15- गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों/अनुभागों/डैस्कों के लिए ।
16- गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को ।
17- जे0सी0एम0 की राष्ट्रीच परिषद एवं कार्मिक विभाग की विभागीय परिषद के कर्म चारी पक्ष के सभी सदस्य ।
18- श्री पी0 मुथुस्वामी स्वामी पब्लिशर संध्या मेनसन, 164, आर0के0 मुट्टा रोड पो0 बाक्स 02468, आर0ए0 पुरम, मद्रास-600028.

एस० हरिहरन

एस० हरिहरन
अवर सचिव, भारत सरकार